न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)

मिसल नं. 178/2017

तारीख रजू 12.07.2017

उनवान

शांति पत्नी रामलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा (धाकड़ान) तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

—प्रार्थीया—

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र कल्याण
2. रामकुंवार पुत्र मांगीलाल
3. बन्नालाल पुत्र रामनारायण
4. सूरजमल पुत्र कल्याण
5. सीताराम | पि० रामप्रसाद
6. रामराज |
7. कविता पत्नी सीताराम
8. प्रेम पत्नी रामराज
9. हेमराज पुत्र रामकुंवार
10. गुलाब पत्नी रामप्रसाद
11. गिर्राज पुत्र भंवरलाल
12. मेघराज पुत्र रामकिशन

सभी जाति मीणा निवासी खेड़ूल्या कलां तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक 19/12/19

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 0.50 हे०, 196 रकबा 0.06 हे०, 197 रकबा 0.59 हे०, 198 रकबा 0.11 हे० वाके ग्राम खेड़ूल्या कलां तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। जिसको प्रार्थीया काश्त कर अपने उपयोग उपभोग में लेती आ रही है। जिसका मौके पर खेत बना हुआ है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात से अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी दिगर का कोई लेना देना सरोकार अधिकार किसी किस्म का नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या व बल में अधिक, लठैत व फैल वाले लोग है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के उक्त खेत पर जबरन मेर डोल को तोड़कर अन्दर घुसकर कब्जा करना चाहते है व डोल को तोड़ने पर आमादा हो रहे है। जबरन खम्भे व तार जाली लगाकर कब्जा करना चाहते है। जिसका उनको कानूनन कतई कोई अधिकार हासिल नहीं है। दि० 10.7.2017 को अप्रार्थीगण, सभी एकराय होकर प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की आराजी पर आ गये व जबरन कब्जा कर डोल बाड़ हटाने व कब्जा करने पर आमादा हो गये, जबरन खम्भे गाड़कर तार व जाली लगाने लगे तथा प्रार्थीया को धमकी दी कि इस आराजी पर हम जबरन

कब्जा करेंगे, तुम्हें बेदखल करेंगे। हम तुम्हें तुम्हारी आराजी के डोल बाड़ नहीं करने देंगे। जबरन डोल को तोड़कर हमारी आराजी में मिलायेंगे। जबकि प्रार्थिया को अपनी खातेदारी की आराजी की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करने का पूरा अधिकार प्राप्त है इसलिए प्रार्थिया को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अगर दौराने दावा अप्रार्थीगण को नीचे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थिया की खातेदारी की आराजी पर कब्जा कर डोल को तोड़कर अपनी आराजी में मिलाकर जबरन कब्जा कर लेंगे। जिससे प्रार्थिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया पेश कर निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थीगण को नीचे अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थिया के कब्जे काश्त में जबरन बेजामदाखलत नहीं करें, काश्त करने, उपयोग उपभोग करने, डोल बाड़, सुरक्षा करने, रक्षा करने से मना नहीं करें, स्वयं जबरन कब्जा कर किसी प्रकार से डोल को नहीं तोड़े, आगे बढ़कर जबरन कब्जा नहीं करें, मेर तोड़कर अपनी खातेदारी में नहीं मिलावे। जबरन खम्भे तार जाली नहीं लगावे। फसल नष्ट नहीं करें। प्रार्थिया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थिया के सम्पतिक अधिकारों में किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगान जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी नं. 5 लगा. 8, 10 बावजूद तामिल नोटिस उप. नहीं आने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी तथा अप्रार्थी नं. 1 लगा. 4, 9, 11, 12 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा जिसके साबिक खसरा नम्बर 5 बीघा थी। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिस पर अर्सा करीब 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त शांति पूर्वक चला आ रहा है भूमि पूर्व में राजकीय भूमि थी जिसकी चुपचाप कागजी तौर पर आवंटन अब्दुल जब्बार के कराकर खातेदारी प्राप्त कर ली और मरने के बाद आराजी उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गयी जबकि उनका कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उन्होंने कभी काश्त नहीं की। अप्रार्थीगण का वर्षों से कब्जा काश्त होने के कारण इस भूमि के स्वतः ही हित निहित उनके हक में हो गये हैं। स्व. अ. जब्बार के वारिसान ने वर्तमान में आराजी मुतनाजा का एकमात्र कागजों में खातेदारी नाम दर्ज होने से प्रार्थिया को बेचान कर दी बेचान महज कागजी अंकन है। प्रार्थिया का कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं है अप्रार्थीगण का एडवर्स पजेशन

के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे इस संदर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा स्व० नेकदार के वारिसान के विरुद्ध न्यायालय टोडा में वाद अस्तकरारहक, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामकुंवार बनाम अ० कादिर वगै० पेश कर रखा है जो जेरकार है। जिसमें प्रार्थीया स्वयं पक्षकार है। आराजी मुतनाजा के सन्दर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही वाद विचाराधीन होने व प्रार्थीया स्वयं भी पूर्व में पक्षकार होने से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है तथा प्रा०पत्र व वाद रेस सब ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर रद्द किये जाने योग्य है। चलने योग्य नहीं है प्रार्थीया को बिना बेदखली का वाद प्रस्तुत किये बिना कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल छाया प्रति जमाबंदी खाता सं. 2 सम्वत 2072-75 बाबत ग्राम खेडूल्या कलां तहसील टोडारायसिंह, छाया प्रति नकल आदेश न्यायालय RAA दि० 27/12/17 उनवान रामप्रसाद बनाम अ० कादिर, नकल आदेश दिनांक 9/7/2019 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर उनवान रामप्रसाद उनवान अ० कादिर पेश किये।

बहस अभिभाषकगण सुनी गयी। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया शांति पत्नि रामलाल जाति धाकड़ सा. लक्ष्मीपुरा के नाम दर्ज खातेदारी है। जोकि प्रार्थीया शांति की जरिये Reg. विक्रय पत्र खरीद शुदा है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात से कोई सरोकार या वास्ता किसी भी किस्म का नहीं होना जाहिर है। अप्रार्थी रामप्रसाद पुत्र कल्याण द्वारा वादग्रस्त आराजियात के पूर्व खातेदार के विरुद्ध पूर्व में प्रा०पत्र व वाद पेश किया जो कि प्रार्थना पत्र खारिज होने पर अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहाँ न्यायालय टोडा के आदेश दिनांक 17.8.2016 के विरुद्ध अपील की गई जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 27/12/17 को खारिज किया गया। इसके बाद रामप्रसाद (अप्रार्थी) द्वारा RAA कोर्ट टोंक के आदेश दि० 27/12/17 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी निगरानी सारहीन होने से खारिज कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक

के आदेश दि० 27/12/2017 एवं न्यायालय हजा के आदेश दि० 17.8.2016 की पुष्टि की है। इस प्रकार साबित है कि अप्रार्थीगण का कोई सरोकार मास्मावादग्रस्त आराजियात से नहीं है। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजियात की रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की सूरत में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की उक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में उसके कब्जे काश्त में दखल किये जाने से इंकार नहीं जा सकता है। अर्थात् अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में प्रार्थीया को नाकाबिले तलाफी नुकसान होना जाहिर है। प्रार्थीया का केस प्रथम दृष्टया होना तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में होना भी जाहिर है। इस प्रकार प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तारोफैसला वाद ~~अप्रार्थी~~ अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी ख. नं. 191 रकबा 0.50 हैक्ट., 196 रकबा 0.06, 197 रकबा 0.59 हैक्ट., 198 रकबा 0.11 हैक्ट. वाके ग्राम खेडूलाकलां तहसील टोडाभीम सिंह में प्रार्थीया के कब्जे काश्त व खातेदारी में बेजामदाखलत नहीं करे। काश्त करने उपयोग उपभोग करने, डोलबाड़, सुरक्षा रक्षा करने से मना नहीं करे। स्वयं जबरन कब्जा कर किसी प्रकार से डोल को नहीं तोड़े। आगे बढ़कर जबरन कब्जा नहीं करे और तोड़कर अपनी खातेदारी में नहीं मिलावें। जबरन खम्भे तार जाली नहीं लगावें। फसल नष्ट नहीं करें। प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थीया के सम्पतिक अधिकारों में किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें।

आदेश आज दिनांक 19/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(ओमप्रकाश नेगी)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीमसिंह